

jsy I i fRRk dh pkyh ds ekeyka dk i athdj .k fooj .k ekg tuojuh&2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
tuojuh&2015	34	34	62950	62950	40	01	00

cp'knk I i fRRk dh pkyh ds ekeyka dk i athdj .k fooj .k ekg tuojuh&2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
tuojuh&2015	02	02	10490	10490	06	00	00

jsy I kexh dh pkyh ds ekeyka dk i athdj .k fooj .k ekg tuojuh&2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
tuojuh&2015	36	36	78440	78440	46	01	00

jsy vf/kfu; e ds rgr ekg tuojuh&2015 e dh xbl dk; bkg h dk fooj .k %&

धारा	पंजीकृत प्रकरण	जुमाना राशि रु. में
137	1873	871910
138	8796	3475133
139	0	0
141	259	97995
142	0	0
143	2	0
144	1400	466575
145	565	50200
146	3	900
147	497	58550
153	2	200
154	14	155850
155	730	44125
156	292	23300
157	0	0
159	550	57300
160	14	0
161	0	0
162	867	26900
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	0	0
167	39	3000
172	1	0
173	0	0
174	14	9000
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
<b>Total</b>	<b>15,918</b>	<b>53,40,938</b>

jsl qc-@iejs }kjk ekg tuojh&2015 ds nkjku fd; s x; s vll; vPNs dk; k dk  
C; kjk %

- (i) दिनांक 08.01.2015 को निरीक्षक रेसुब/बारां श्री बी.एम. मीना, उप निरी. अनिल कुमार मय स्टाफ दौराने गस्त अन्ता स्टेशन पर गाडी संख्या-51613 पर तीन पत्नी गिरोह के एक व्यक्ति मो० आफसार पुत्र बुन्दु खा को रंगे हाथों तीन पत्नी खेलते हुये पकडा एवं जीआरपी कोटा को सुपुर्द किया। जिसके विरुद्ध जीआरपी कोटा द्वारा अ०क्र० 17/2015 धारा 332, 353, 143 भादसं, 3 पीडीपीपी एक्ट एवं 13 आरटीजीओ एक्ट दिनांक 09.01.2015 दर्ज किया गया।
- (ii) दिनांक 25.01.2015 को उप निरीक्षक रामगंजमण्डी-श्री घनश्याम मीना, सउनि श्री वीरेन्द्र कुमार यादव सउनि एवं प्र.आ. श्री कमलेश मीना स्टेशन गस्त के दौरान गाडी 59838 (कोटा-झालावाड पैसेन्जर) के रामगंजमण्डी आगमन पर शक के आधार पर दो व्यक्तियों 1. हसिन खॉ पुत्र मुन्ना खॉ, उम्र-28 वर्ष, निवासी-ऐरोली (उ०प्र०) 2. जितेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, उम्र-29 वर्ष, निवासी-गांव बलवंत, जिला-बून्दी हाल रेलवे आवास नं. 7/बी, आरई/प्रथम, रेलवे कालोनी कोटा (राज०) को उतारकर पूछताछ की गई तो उन्होने यात्री गाड़ियों में चोरियां करना स्वीकारा। बाद दोनों आरोपियों को जीआरपी झालावाड रोड को सुपुर्द किया। जहाँ दोनों आरोपियों के खिलाफ अ०क्र० 25/2015 धारा 379, 511 भादसं दिनांक 25.01.2015 कायम कर विवेचना में लिया गया।
- (iii) दिनांक 21.01.2015 को मैहर स्टेशन पर एक बालिका लावारिस एवं विक्षुब्ध हालत में प्रधान आरक्षक रामराज गौतम व आरक्षक मोहनलाल द्विवेदी मैहर को दिखाई देने पर बल सदस्यों द्वारा बालिका से पूछताछ की गई एवं उसके द्वारा बताये गये पते पर फोन कर बालिका के पिता को सूचित कर किया गया एवं बालिका के पिता के रेल सुरक्षा बल चौकी मैहर आने पर उन्हे सुपुर्द किया गया।
- (iv) दिनांक 29.01.2015 को गाडी संख्या 12724 एपी एक्सप्रेस के कोच नंबर एस-7 बर्थ नंबर 58, 59 मे नईदिल्ली से सिकंदराबाद तक की यात्रा कर रही महिला यात्री करिश्मा गलती से भोपाल स्टेशन पर उतर जाने की सूचना पर सउनि आर.के.बौराशी व आरक्षक भगवान दास नरोलिया, आरक्षक देवेन्द्र चक्रवती द्वारा महिला यात्री की तालाश कर प्लेटफार्म क्रमांक 06 से पाया बाद लडकी द्वारा बताये गये मोबाईल नंबर 09939705059 पर उनके भाई विक्की शर्मा को सूचना दी गई दिनांक 29.01.2015 को ही विक्की शर्मा के रेसुबल पोस्ट भोपाल पर उपस्थित होने पर समक्ष दो गवाहन लडकी करिश्मा को उसके भाई विक्की शर्मा को बिना शिकवा शिकायत के सुपुर्द किया गया।
- (v) इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 410 व्यक्तियों के विरुद्ध **तम्बाकु अधिनियम** (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 82,200/-रु. का जुर्माना वसूल किया गया।

\*\*\*\*\*